न्यायालय– पारिवारिक न्यायालय, डीडवाना, जिला नागौर (राज०)
(अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना, जिला नागौर (राज०))

पीठासीन अधिकारी – **डॉ0 सरिता स्वामी, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

हिन्दू विवाह (दी.) प्र. सं.– 165/2021

1– संजू कुमारी पत्नी मूलचन्द, उम्र 27 वर्ष, जाति माली, निवासी काटला बास, डीडवाना हाल निवासी कादिया बास, डीडवाना, जिला नागौर।

––याचीया

ब ना म

1– मूलचन्द पुत्र पूरणमल, उम्र 31 वर्ष, जाति माली, निवासी काटला बास, डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

––अयाची

याचिका अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम

उपस्थितिः–

1– श्री मो. ईकबाल, विद्वान अधिवक्ता याचीया की ओर से।

2– अयाची के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः– 04.08.2022

1– याचीया की ओर से हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत अयाची के विरूद्ध याचिका इस आशय की पेश की गई कि याची व अयाची दोनो हिन्दु धर्म को मानने व आस्था रखने वाले हैं। याची व अयाची का विवाह हिन्दु पद्धति से अग्नि को साक्षी मानकर सात फैरो के साथ धार्मिक अनुष्ठान मन्त्रोचारण से एक दुसरे के गले में वर माला पहनाकर दिनांक 09–05–2016 को काटला बास, डीडवाना में सम्पन्न हुआ था तथा याची व अयाची के बीच विवाह सम्पन्न हो जाने के पश्चात एक दुसरे के साथ रहवास व सहवास किया। याची अयाची की विधिक पत्नि हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात अयाची व उसके परिवार द्वारा याची को दहेज बाबत् तंग परेशान करने लग गये मगर याची अपने परिवार की इज्जत की खातिर चुप रही। दिनांक 21–08–2020 को

याची के साथ कमरा बन्द करके मारपीट की गई। याची के चिल्लाने पर आस पडौस के लोग इक्ट्ठा हो गये जिनमें से किसी ने याची के भाई बजरंग को फोन करके बुला लिया याची का भाई पहुंचा तो अयाची व उसके परिवार ने उसे गालिया निकाली व उस पर हमला करने की कोशिश की, लोगो ने बीच बचाव कर याची को पहने हुए कपड़ो में याची के भाई के साथ पीहर भिजवाया। याची के पीहर एवम् समाज वालो ने अयाचीग व उसके परिवार वालो को समझाईस की, मगर अयाची व उसके परिवार पर कोई असर नही हुआ व याची का स्त्रीधन देने से स्पष्ट इन्कार हो गये। याची के ससुराल मे अयाची व उसके परिवार वालो ने याची को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करना चालू कर दिया। अयाची व उसके परिवार वाले अत्यन्त ही चतुर एवं लालची प्रवृति के इंसान हैं जो याची को विवाह के पश्चात से ही दहेज के लिए तंग व परेशान करना चालू कर दिया। याची अपना वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलाना चाहती है। इस कारण अयाची व उसके परिवार के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को सहन करती रही। दिनांक 21–08–2020 को याची के साथ मारपीट कर पहने हुये कपड़ो मे ही घर से बाहर निकाल दिया। याची अपने पीहर गांव कादिया बास, डीडवाना आ गई। याची के परिवार ने अयाची व उसके परिवार को समझाईस के अत्याधिक प्रयास किये व समाज के लोगो के माध्यम से अयाची व उसके परिवार को समझाईस की, परन्तु अयाची व उसके परिवार पर समझाईस का कोई असर नही हुआ तथा याची को नाजायज रूप से अपनी हठधर्मिता के कारण ससुराल नही ले जा रहे हें। अयाची व उसके परिवार ने याची का स्त्रीधन, गहना, दहेज का सामान भी अपने पास रख लिया हैं, जो लगभग 6,00,000/– रूपये मालियत का हैं, जिसको प्राप्त करने का अलग से वाद पेश करेगी। याची एक भोली–भाली गृहणी महिला हैं, जो अपना भरण पोषण करने मे पूर्णतया असमर्थ है जबकि अयाची नौजवान व्यक्ति है जो वर्षो तक विदेश में बेहरीन में मिठाई की दुकान पर काम करता जिसे वहां 2,500/– रियाल प्रतिमाह जो भारतीय मुद्रा में करीब 70,000/– रूपये प्रतिमाह बनते हैं। इसके अतिरिक्त अयाची विदेश से आने के पश्चात डीडवाना में विवाह, धार्मिक आयोजन, पार्टी इत्यादि में केटरिंग व मिठाई का व्यवसाय कर 60–70 हजार रूपये प्रतिमाह आसानी से कमा रहा हैं अयाची का भाई नटवरलाल दुबई में मिठाई का कारोबार कर 60–70 हजार रूपये प्रतिमाह आसानी से कमा रहा हैं। अयाची के अलग व अयाची के भाई के अलग अलग एक डेढ बीघा भूमि में बडे बडे मकान बने हुये हैं। इस प्रकार अयाची साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं। अयाची दो बार विदेश की मुसाफरी करके आया है, पिछले एक साल से अयाची

डीडवाना में ही हैं जो याची के साथ कम रहकर याची की जेठानी का घर जो याची के घर के चिपते ही हैं और जो अकेली रहती हैं। वहां पर ज्यादा समय व्यतीत करता हैं और पिछले एक साल से हर दो चार दिन पश्चात जेठान व अयाची याची के कमरे में आकर कमरा अन्दर से बन्द करके, दरवाजा खिड़की बन्द करके याची के साथ मारपीट करते हैं व सास ससुर दोनो कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं अयाची याची को दिल से नही चाहता हैं और अधिक समय अपनी भौजाई के घर पर ही रहता हैं । याची अयाची को जाने के लिए मना करती हैं तो याची के साथ मारपीट करता हैं, सास यहां तक कहती हैं कि तुम मूलचन्द को पसन्द नही हो तो मैं क्या करू और वैसे भी तु अपने मां बाप के घर से दहेज का अच्छा सामान नही लाई ज्यादा गहने कपड़े नही लाई । याची की सास यह भी कहती हैं कि मैं और मेरा बेटा घर पर रखने के पक्ष में नही हैं । याची की सास ने सारे गहने अपने कब्जे में कर रखे हैं और याची को बार त्यौहार पहने को भी नही देती हैं। उक्त दहेज की मांग को लेकर याची के ससुर दो तीन बार उसके साथ मारपीट की व उसके साथ दो तीन बार साडी का पल्लू उतारकर छेडछाड करने का प्रयास किया। याची का भाई अमरचन्द भी अयाची व उसके परिवार के सामने याची के साथ अभद्र व्यवहार करते हुये अश्लील हरकते करके गया। अयाची व उसके उक्त व्यवहार के कारण याची मानसिक सन्ताप में रहने लग गई। उक्त परिस्थितियो के कारण याची अयाची का एक साथ जीवन जीना सम्भव नही रहा हैं। इसलिए याची द्वारा उक्त तलाक याचिका पेश की जा रही हैं। याची ने अपना वैवाहिक जीवन बचाने का अत्यधिक प्रयास किया। परन्तु अयाची व उसके परिवार वालो द्वारा याची को नाना प्रकार से शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित करने व मारपीट करने के कारण अब अयाची के साथ बतौर पत्नि रहना सम्भव नही होने से कोई चारा नही देख यह तलाक याचिका पेश करना लाजमी होने से पेश की जा रही हैं। याचिका पेश करने में अयाची व याचीया के मध्य किसी प्रकार की कोई दुर्भिसंधि नहीं है। याचिका उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः याचिका स्वीकार कर याचीया व अयाची के मध्य सम्पन्न हुए विवाह दिनांक 09.05.2016 को विघटित कर तल्लाक की डिक्री जारी की जावे।

2– अयाची की तलबी हेतु जारी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी अयाची स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 05.03.2022 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3– याचीया की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य में ए ड 1 संजूकुमारी, ए ड 2 बजरंगलाल, ए ड 3 शांतिदेवी को परीक्षित करवाया और दस्तावेज में शादी के कार्ड की प्रति प्रदर्श 1, संजू कुमार का आधार कार्ड प्रदर्श 2, जिसकी प्रति प्रदर्श 2/1, बजरंगलाल का आधार कार्ड प्रदर्श 3, जिसकी प्रति प्रदर्श 3/1 , शांतिदेवी का आधार कार्ड प्रदर्श 4, जिसकी प्रति प्रदर्श 4/1 प्रदर्शित करवाये।

4– बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिन्दू यह है किः–

''क्या याचीया याचिका में वर्णित आधारों पर अयाची के विरूद्ध विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ?''

5– इस बाबत् दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता याचीया का तर्क है कि याचीया के अभिवचनों एवं प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का अयाची की ओर से कोई खण्डन नहीं है। ऐसे में याचीया याचिका में वर्णित आधारों को साबित करने में सफल रही है। याचीया की याचिका डिक्री की जावे।

6– याचीया को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्तुत प्रकरण में हम स्थिति को देखें तो याचीया का विवाह अयाची के साथ दिनांक 09.05.2016 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ, इस बाबत् अभिवचन कर रखे हैं व सशपथ साक्ष्य में स्वयं साक्षी ने अपना, अपने भाई बजरंगलाल, अपनी माता शांतिदेवी के शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं, उनमें भी इस बात का उल्लेख है और समर्थन में शादी के कार्ड की प्रति प्रदर्श 1, संजू कुमार का आधार कार्ड प्रदर्श 2, जिसकी प्रति प्रदर्श 2/1, बजरंगलाल का आधार कार्ड प्रदर्श 3, जिसकी प्रति प्रदर्श 3/1 , शांतिदेवी का आधार कार्ड प्रदर्श 4, जिसकी प्रति प्रदर्श 4/1 को प्रस्तुत किया है, जिसका कोई खण्डन अयाची की ओर से नहीं हुआ है। अब याचीया ने अपनी याचिका में कथन किया कि याचीया के साथ याचीया की जेठानी, उसका पति मारपीट करते व याचीया के ससुर ने उसके साथ मारपीट की व उसके साथ छेड़छाड़ की, अयाची का भाई अमरचन्द भी याचीया व उसके परिवार वालों के साथ अभद्र व्यवहार करता व अश्लील हरकतें करता, इन्हीं आधारों पर यह याचिका प्रस्तुत की है। इस बाबत् याचीया व साक्षी ए ड 2, ए ड 3 के अभिवचन मय शपथपत्र हैं, जिनका कोई खण्डन अयाची की ओर से नहीं है और

याचीया स्वयं व उसका भाई व उसकी माता ने साक्षी के रूप में परीक्षित होकर भी शपथपत्र प्रस्तुत किया, इसका भी कोई खण्डन अयाची की ओर से नहीं है। ऐसे में याचीया के अभिवचनों व शपथपत्र के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। ऐसे में याचीया याचिका में वर्णित आधार साबित करने में सफल रही है। याचीया अयाची के विरूद्ध विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

आ दे श

7– फलतः याचीया संजू कुमारी पत्नी मूलचन्द, उम्र 27 वर्ष, जाति माली, निवासी काटला बास, डीडवाना हाल निवासी कादिया बास, डीडवाना, जिला नागौर की ओर से अयाची मूलचन्द पुत्र पूरणमल, उम्र 31 वर्ष, जाति माली, निवासी काटला बास, डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर के विरूद्ध प्रस्तुत याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 एकपक्षीय रूप में स्वीकार कर याचीया व अयाची के मध्य दिनांक 09.05.2016 को सम्पन्न हुए विवाह को आज निर्णय की दिनांक से विघटित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

8– विवाह विच्छेद की डिक्री इसी भांति पृथक से बनाई जाकर शामिल पत्रावली की जावे।

(डॉ0 सरिता स्वामी)
न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय
(अपर जिला न्यायाधीश) डीडवाना।

9– निर्णय एवं आदेश आज दिनांक **04.08.2022** को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सरिता स्वामी)
न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय
(अपर जिला न्यायाधीश) डीडवाना।